कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)
जलेब चौक,जयपुर।

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः–प.37(2027)गृरमु / पीएसएएल / 2020 / 12950-51   दिनांकः– 12 NOV 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स : राम कवंरी लाईसेन्स संख्या 719 / CDHG HQ (S-Cell)/2013 दिनांक 18.09.2013 वैद्यता 17.09.2023 (निजी सुरक्षा अभिकरण) द्वारा पूर्व लाईसेन्स अवधि (2013 से 2018) में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 09 व 10 का उल्लघंन करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5032 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा नोटिस का जवाब 07.03.2019 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें अनुज्ञाधारक द्वारा बताया गया कि भविष्य में सभी प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी। अभिकरण द्वारा नियमों की पालना की जा रही है अथवा नहीं इसका निरीक्षण करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5531 दिनांक 30.04.2020 द्वारा समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर को पत्र जारी किया गया। समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अभिकरण द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 09, 10 व 15 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 07, 09, 10 एवं 15 की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 10726–27 दिनांक 06.10.2020 के द्वारा उक्त लाईसेन्स को एक माह के लिये निलम्बित किया जाकर कार्यालय पत्र क्रमांक 10728 दिनांक 06.10.2020 द्वारा अनुज्ञाधारक श्रीमती राम कंवरी को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 19.10.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त अभिकरण द्वारा निरीक्षण के समय पाई गई अधिकतर अनियमितताओं को दूर कर दिया गया है व वर्तमान में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के प्रावधानों व राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियमों की पालना की जा रही है। अतः उक्त अभिकरण के लाईसेन्स 719 / CDHG HQ (S-Cell)/2013 दिनांक 18.09.2013 वैद्यता 17.09.2023 (निजी सुरक्षा अभिकरण) को पुनः इस हिदायत के साथ बहाल किया जाता है कि भविष्य में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के प्रावधानों व राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियमों की पूर्णतः पालना करेगें।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमती राम कवंरी पत्नि श्री सूरजमल चौधरी निवासी गांव–भूणाबाय (शिव मन्दिर की गली) पोस्ट–रसूलपुरा, थाना–सिविल लाईन, जयपुर रोड, अजमेर–305024
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन (अपलोड) करने बाबत।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर